भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4218

18 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

पीडीएस में डिजिटल वाउचर

4218. श्रीमती भारती पारधी:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वितरण को आधुनिक बनाने और चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में डिजिटल वाउचरों के उपयोग के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रस्ताव करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(ख) कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए राज्यों अथवा जिलों सहित प्रस्तावित प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र और डिजाइन का ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में पारदर्शिता, दक्षता और लाभार्थियों की सुविधा पर डिजिटल वाउचरों के संभावित प्रभाव का क्या मूल्यांकन किया गया है;

(घ) प्रचालनात्मक चिंताओं को दूर करने और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों सहित हितधारकों के साथ किए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या डिजिटल प्रणालियों में परिवर्तन के दौरान समावेशिता और निर्बाध खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के उपयोग के लिए इस प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों के लिए एक सुरक्षित, त्वरित, ट्रेस करने योग्य और प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल नकद तंत्र प्रदान करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना है, जिससे सुचारू रूप से निधि प्रवाह लागू हो सके और पात्रता प्राप्त करने में बाधा कम हो सके।

...2/-

(ख): सीबीडीसी के तहत, बैंक लाभार्थी के आधार सत्यापित मोबाइल से जुड़े खाते/वॉलेट में वस्तु-विशिष्ट डिजिटल खाद्य कूपन (टोकन) या वाउचर कोड जारी करते हैं। लाभार्थी इन खाद्य कूपन/वाउचर कोड का उपयोग संबंधित उचित दर दुकानों (एफपीएस)/व्यापारी आउटलेट्स पर अधिकृत वस्तुओं के लिए कर सकते हैं।

भारत सरकार ने गुजरात राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सीबीडीसी के उपयोग पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है, जिसमें अहमदाबाद शहर का साबरमती अंचल और सूरत, आणद और वलसाड जिलों के शहरी क्षेत्र शामिल हैं। पीएमजीकेएवाई के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए सीबीडीसी के उपयोग हेतु पुददुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में भी एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।

(ग): सीबीडीसी को प्रारंभ करने का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रचालन में पारदर्शिता, दक्षता और लाभार्थियों की सुविधा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है। इस प्रणाली का उद्देश्य लेन-देन में होने वाली देरी को कम करना और पहुंच को आसान बनाना भी है। सीबीडीसी लाभार्थियों को उनकी मासिक पात्रता, आवंटित खाद्यान्न की मात्रा, भारत सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी का मूल्य, उठाई गई मात्रा और बकाया राशि के बारे में स्पष्ट जानकारी भी प्रदान करती है।

(घ): भारत सरकार ने प्रचालन संबंधी चिंताओं को दूर करने और प्रायोगिक परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, भागीदार बैंकों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श किया है।

(ड.) और (च): प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन सीमित संख्या में लाभार्थियों और स्थानों के साथ चरणबद्ध तरीके से किया जाता गया है। प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत शामिल न किए गए शेष लाभार्थियों के लिए मौजूदा पीडीएस तंत्र चालू रहता है।
